

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 27, 2017/माघ 7, 1938
No. 32]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 27, 2017/MAGHA 7, 1938

# भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना

हैदराबाद,17 जनवरी, 2017

# भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) (पहला संशोधन) विनियम. 2016

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/1/138/2017.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 तथा समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धाराओं 42डी और 42ई के साथ पिठत समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद इसके द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- 1.1 . ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) (पहला संशोधन) विनियम, 2016 कहलाएँगे ।
- 1.2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 में
  - (क) विनियम 3(क) और विनियम 11.1 में "के बीमा उत्पादों....." शब्दों के पहले "के अधिकतम" शब्द अंत:स्थापित किये जाएँगे

437 GI/2017 (1)

- (ख) विनियम (3) में निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगाः
  - (घ) बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) निम्नलिखित के अधीन बीमा उत्पादों के दूरस्थ विपणन के संबंध में समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों/ विनियमों/ परिपत्रों का पालन करेगाः दूरस्थ विपणन
    - i. बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) द्वारा दूर-विपणनकर्ता(ओं) को नियुक्त किये बिना किया जाएगा।
    - ii. प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किया जाएगा।
    - iii. केवल बीमा विक्रेताओं (आईएसपी) के माध्यम से किया जाएगा।
    - iv. केवल उन्हीं बीमाकर्ता(ओं) की ओर से किया जाएगा जिनके साथ अनुसूची V के भाग I में विनिर्दिष्ट रूप में बीमा व्यवसाय कार्यकलाप करने के लिए बीमा विपणन फर्म द्वारा करार किये गये हों।
- (ग) विनियम 4.1 में निम्नलिखित खंड ज अंत:स्थापित किया जाएगाः
  - (ज) यह वक्तव्य देते हुए एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि बीमा व्यवसाय की अपेक्षा / अग्रता उत्पादन के लिए दूर विपणनकर्ता(ओं) को नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- (घ) विनियम 5.2 (vi) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगाः "क्या आवेदक के नाम में शब्द "बीमा विपणन" अथवा "आईएमएफ" है।
- (ङ) विनियम 14.2 में निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगाः
  - (क) यह वक्तव्य देते हुए एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि बीमा व्यवसाय की अपेक्षा / अग्रता उत्पादन के लिए दूर विपणनकर्ता नियुक्त नहीं किया जाएगा/ नहीं किये जाएँगे।
- (च) अनुसूची-III (1) (सामान्य) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा
  - "1. सामान्यः

प्रधान अधिकारी और आईएसपी के लिए प्रशिक्षण समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्णीत रूप में अनुमोदित संस्था द्वारा और अनुमोदित तरीके से ऑन- लाइन संचालित किया जाएगा"।

- (छ) अनुसूची IV भाग III (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है
  - "क्षेत्र" को एक ऐसे जिले के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए बीमा विपणन फर्म का रिजस्ट्रीकरण वैध हो। तथापि, यदि आवेदक द्वारा अनुरोध किया जाता है तो किसी राज्य के राजधानी नगर में पंजीकृत बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) के मामले में ऐसे नगर की नगरपालिका / नगर निगम के अंतर्गत परिभाषित क्षेत्र परिचालन के क्षेत्र के रूप में माना जाएगा।
- (ज) अनुसूची V भाग-II (ङ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है

"अपने कार्यस्थल पर/ कार्यालय में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये अपने रजिस्ट्रीकरण का विवरण प्रदर्शित करेगा जैसे पंजीकरण के निर्गम की तारीख और उसकी वैधता, और संबंधित विनियमनकर्ताओं द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्रों के साथ विपणन किये जानेवाले अन्य वित्तीय उत्पादों की सूची, शिकायत निवारण प्रक्रिया, लोकपालों की सूची तथा अन्य प्रयोज्य संविधि(यों) के अंतर्गत अपेक्षित की जानेवाली अन्य संगत सूचना।"

<b>(झ)</b> अनुसूची X(3) में " व्यवसाय	। में बीमा विपणन फर्म द्वार	ा अधिक नहीं होगा।	" शब्दों के
बाद निम्नलिखित वाक्य अंत:स्थापित किया ज	ाएगा।		
"एओए : एओवाई का अनुपात 1 : 1 हो	गा।"		
<b>(ञ)</b> फार्म बी, सी और डी में सारणी में निम्	प्रलिखित शब्द हटाये गये हैं	तथा संशोधित फार्म क्रमशः अ	नुबंध 1, 2
और 3 के रूप में रखे गये हैं।			
अन्य वित्तीय उत्पादों का वितरण	हाँ / नहीं		
		 टी. एस. विजय	न, अध्यक्ष
		[विज्ञापन.III/4/असा./387/	16(161)]
		•	( /-
			अनुबंध-1
			फार्म बी
भारतीय बीग	मा विनियामक और विकास	प्राधिकरण	
(बीमा विपणन	फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विलि	नेयम, 2015	
·	र्कार्म बी [विनियम 10 देखें]	·	
	रजिस्ट्रीकरण		
समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधि	**	ती धारा 42डी की उप-धारा (1)	द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इ	,		α
"			
" को उपर्युक्त अधि	नियम के अधीन <b>बीमा विपण</b> न	<b>ा फर्म (आईएमएफ)</b> के रूप में क	ार्य करने के
लिए पंजीकरण प्रदान करता है ।			
उक्त बीमा विपणन फर्म के लिए रजिस्ट्रीक	रण कूट	है।	
1. उक्त बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ)	को	राज्य के	जिला/
नगरपालिका/ नगर निगम के क्षेत्र में परिच	गलन करने की अनुमति दी जा	रगी।	
2. कार्यकलापों का विस्तारः			
बीमा उत्पादों की अपेक्षा करना अथवा उन	हें प्राप्त करना	हाँ/नहीं	
बीमा संबंधी सेवा कार्य			
क) बीमाकर्ताओं के बैक ऑफ़िस कार्य	करना	हाँ/नहीं	
ख) बीमा रिपोज़िटरियों (आईआर) ब	<b>ा अनुमोदित व्यक्ति बनना</b>	हाँ/नहीं	
ग) सर्वेक्षण और हानि निर्धारण कार्य	करना	हाँ/नहीं	
		66.	

- 3. यह रजिस्ट्रीकरण ...... तक वैध होगा।
- 4. यह रजिस्ट्रीकरण समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का

रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुपालन में अथवा उनके अनुरूप है।

स्थान :

दिनांकः

आदेशानुसार

# भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से

अनुबंध-2

# भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 फार्म सी [विनियम 17 देखें]

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट)

	समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1	938 का 4) की धारा 42डी की उप-धा	ारा (1)
द्वारा प्र	दत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा उपर्यु	क्त अधिनियम के अधीन	
	п	"   को <b>बीमा विपणन फर्म</b> के रूप	में कार्य
करने वे	न् लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करता है।		
1.	उक्त बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) को	राज्य के	जिला/
	नगरपालिका/ नगर निगम के क्षेत्र में परिचालन करने की अनुमति	दी जाएगी।	
2.	कार्यकलापों का विस्तारः		
	बीमा उत्पादों की अपेक्षा करना अथवा उन्हें प्राप्त करना	हाँ/नहीं	
	बीमा संबंधी सेवा कार्य		
	क) बीमाकर्ताओं के बैक ऑफ़िस कार्य करना	हाँ/नहीं	
	ख) बीमा रिपोज़िटरियों (आईआर) का अनुमोदित व्यक्ति	हाँ/नहीं	
	बनना		
	ग) सर्वेक्षण और हानि निर्धारण कार्य करना	हाँ/नहीं	
3.	उक्त बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण कूट	है।	
4.	यह रजिस्ट्रीकरण	से	तक
	विधिमान्य होगा।		
5.	यह रजिस्टीकरण समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम. बीग	ना विनियामक और विकास प्राधिकरण अधि	ग्रेनियम.

1999 (1999 का 41) तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का

रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुपालन में अथवा उनके अनुरूप है।

स्थान :

दिनांकः

आदेशानुसार

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से

अनुबंध - 3

# भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 [विनियम 14 देखें] फार्म डी रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र

## रजिस्ट्रीकरण संख्या :

1.	समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (3) द्वारा
	प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
	(बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 14 तथा बीमा विनियामक और विकास
	प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के अधीन

का रजिस्ट्रीकरण ......से.....तक की अवधि के लिए नवीकृत करता है।

2. उक्त बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) को निम्नलिखित क्षेत्र में परिचालन करने की अनुमति दी जाएगी

जिला/ नगरपालिका/ नगर निगम	राज्य

### 3. कार्यकलापों का विस्तारः

बीमा उत्पादों की अपेक्षा करना अथवा उन्हें प्राप्त करना	हाँ/नहीं
बीमा संबंधी सेवा कार्य	
क) बीमाकर्ताओं के बैक ऑफ़िस कार्य करना	हाँ/नहीं
ख) बीमा रिपोज़िटरियों (आईआर) का अनुमोदित	हाँ/नहीं
व्यक्ति बनना	60.161
ग) सर्वेक्षण और हानि निर्धारण कार्य करना	हाँ/नहीं

4.		<u></u> मे <u>ं</u>	.दिन	माह दो हजार	<b>-</b>
	को जारी किया गया।				

5. यह रजिस्ट्रीकरण समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन

फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुपालन में अथवा उनके अनुरूप है।

स्थान :

दिनांकः

आदेशानुसार,

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से

# INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

#### **NOTIFICATION**

Hyderabad, the 17th January, 2017

# Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) (First Amendment) Regulations, 2016

**F. No. IRDAI/Reg/1/138/2017.**—In exercise of the powers conferred by Section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), as amended from time to time, read with sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and sections 42D and 42E of Insurance Act, 1938, as amended from time to time, the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following amendments to Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm), Regulations 2015, namely:

#### 1. Short title and commencement:

- 1.1 These regulations may be called **Insurance Regulatory and Development Authority of India** (Registration of Insurance Marketing Firm) (First Amendment) Regulations, 2016
- 1.2 They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015
  - (A) Insert the words "maximum of" after the words "... Insurance Products of" in Reg. 3(a) and Reg.11.1
  - **(B)** In regulation (3) following clause d shall be inserted:
    - (d) An IMF shall abide by the guidelines /regulations/circulars issued by
      - the Authority from time to time on Distance Marketing of Insurance Products subject to the following: Distance Marketing shall be
        - i. undertaken by the IMF without engaging tele-marketer(s).
        - ii. undertaken after obtaining prior approval from the Authority.
        - iii. carried out only through ISPs.
        - iv. on behalf of those Insurer(s) with whom agreements are entered by IMF for carrying out insurance business activity as specified in Part I of Schedule V.
  - (C) In regulation 4.1 the following clause h shall be inserted:
    - (h) Submit an undertaking stating that a tele marketer(s) shall not be engaged for solicitation/lead generation of insurance business.
  - (**D**) Regulation 5.2 (vi) shall be substituted with the following:

"Whether the Applicant has in its name the words "Insurance Marketing" or "IMF"

- **(E)** In regulation 14.2 following clause shall be inserted:
  - (a) Submit an undertaking stating that a tele marketer(s) shall not be engaged for solicitation/lead generation of insurance business.
- (F) SCHEDULE-III (1) (General) is replaced as

#### "1. General:

The training for Principal Officer and ISP shall be conducted on-line by an approved institution, and in the manner, as decided by the Authority from time to time".

(G) Schedule IV Part III (2) is replaced as

The "Area" is defined as a district for which the registration of the Insurance Marketing Firm is valid. However, if requested by an applicant, in case of IMFs registered in capital city of any State, the area defined under Municipality/ Municipal Corporation of such city shall be considered as area of operation.

- (H) Schedule V Part-II (e) is replaced as
  - "display at their place of work/office, details of their registration issued by the Authority such as, date of issue of registration and its validity, and list of other financial products marketed along with the certificates issued by respective regulators, grievance handling process, list of ombudsman and such other relevant information as may be required under applicable statute(s)."
  - (I) In schedule X(3) following sentence shall be inserted after the words "...insurance marketing firm in the business."

"The ratio of AOA:AOY shall be 1:1."

(J)The following words in the table are deleted in Form B, C and D and the revised forms are placed as Annexure 1, 2 and 3 respectively.

Distribution of other Financial Products	Yes/No

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III /4/Exty./387/16(161)]

Annexure - 1

Form B

### INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015

FORM B [See regulations 10]

#### REGISTRATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42D Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended from time to time, the Authority hereby grants a registration to

	"	<b></b>
to a	act as Insurance Marketing Firm (IMF) under that Act.	
Re	gistration Code for the Insurance Marketing Firm is	
1.	The IMF shall be allowed to operate in	_district/ Municipality/
	Municipal Corporation area ofstate.	

#### 2. Scope of Activities:

Soliciting or Procuring Insurance Products		Yes/No
Insuran	ce Service Activities	
a)	Undertaking back office activities of insurers	Yes/No
b)	Become approved person of IRs	Yes/No
c)	Undertaking survey and loss assessment work	Yes/No

3.	This Registration shall be valid from to	
4.	This Registration is subject to the Act, as amended from tin Authority Act, 1999 (41 of 1999) and Insurance Regulatory a Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015 and shall not be to any other Act, rules or regulations.	and Development Authority of India (Registration of
		By Order
Pla	ace:	
Da	ate:	
	Insur	For and on behalf of rance Regulatory and Development Authority of India
	INSURANCE REGULATORY AND DEVELO	Annexure – 2
	(REGISTRATION OF INSURANCE MARKET	
	Form C	ING FIRM) REGULATIONS, 2015
	[See regulations	171
	DUPLICATE CERTIFICATE O	
	exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42 ne to time, the Authority hereby grants a registration to	D Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended from
to	act as Insurance Marketing Firm (IMF) under that Act.	<del></del>
1.	The IMF shall be allowed to operate in of state.	district/ Municipality/ Municipal Corporation area
2.	Scope of Activities:	
S	Soliciting or Procuring Insurance Products	Yes/No
I	nsurance Service Activities	
	a) Undertaking back office activities of insurers	Yes/No
	b) Become approved person of IRs	Yes/No
	c) Undertaking survey and loss assessment work	Yes/No
3.	Registration Code for the Insurance Marketing Firm is	
4.	This Registration shall be valid from to	
5	This Registration is subject to the Act, as amended from the Authority Act, 1999 (41 of 1999) and Insurance Regulatory a Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015 and shall not be to any other Act, rules or regulations.	and Development Authority of India (Registration of
		By Order
Pla	ace:	
Da	ate:	
	•	For and on behalf of

**Insurance Regulatory and Development Authority of India** 

Annexure – 3

### INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

 $(Registration\ of\ Insurance\ Marketing\ Firm)\ Regulations, 2015\ [See\ regulations\ 14]$ 

#### Form D

### CERTIFICATE OF RENEWAL OF REGISTRATION

Regis	tration	No:

1.	In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 42D Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amende from time to time, the Authority hereby renews the registration of M/s				
	" "				
	under Reg.14 of the IRDA of India (Registration of Inc Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41)				
2.	The IMF shall be allowed to operate in				
	District/Municipality/ Municipal Corporation	State			
3.	Scope of Activities:				
	oliciting or Procuring Insurance Products		Yes/No		
In	surance Service Activities				
a) Undertaking back office activities of insurers			Yes/No		
	b) Become approved person of IRs		Yes/No		
	c) Undertaking survey and loss assessment work		Yes/No		
4.	ssued at on day of Two thousand				
5.	This Registration is subject to the Act, as amended from time to time, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.  By Order				
Pla	ce:				
Da	te:				
	For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India				